

08.03.2025 प्रकरण आज दिनांक 08.03.25 को नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत।
राज्य द्वारा डीपीओ।

अभियुक्त स्वतः उपस्थित।

प्रकरण लोक अदालत में विचारण हेतु नियत है।

आरोपी के विरुद्ध **मोटरयान अधिनियम की धारा 130(3)/177** के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त धारा के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण की अधिकारिता इस न्यायालय को है अतः आरोपी को उक्त धारा के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी द्वारा स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी का अभिवाक् दर्ज किया गया। आरोपी के द्वारा स्वेच्छयापूर्वक अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर पृथक से निर्णय समरी शीट में घोषित किया गया।

आरोपी को **मोटरयान अधिनियम की धारा 130(3)/177** के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड रुपये **200/-** से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा नहीं किये जाने पर आरोपी को **02**, दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताई जावे।

सही/-

(श्रीमती अनिता ध्रुव)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद
जिला-गरियाबंद(छ.ग.),

पुनश्च-

आरोपी ने अर्थदंड की राशि. रुपये 200/- अदा किया। उसे रसीद क्रमांक..... प्रदान किया गया।

प्रकरण समाप्त। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर पत्रावली सुव्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/-

(श्रीमती अनिता ध्रुव)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरियाबंद
जिला-गरियाबंद (छ.ग.),